

# New NCERT Class 7 भारतीय संविधान: एक परिचय – संपूर्ण जानकारी | The Constitution of India: An Introduction

## परिचय -

जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली, तो सबसे बड़ा सवाल था – देश कैसे चलेगा? किसके नियमों पर? इसका जवाब था एक लिखित संविधान। आज के इस लेख में हम भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) को बिल्कुल सरल और मानवीय भाषा में समझेंगे। यह परिचय उन सभी के लिए है जो UPSC, SSC, स्कूल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं। चलिए, बिना किसी कठिन शब्दजाल के, बिल्कुल अपनी मातृभाषा में, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह संविधान है क्या, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और इसके बिना देश कैसे अधूरा है।

प्रश्न: भारतीय संविधान: एक परिचय दीजिए।

भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) उस महान दस्तावेज को कहते हैं जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है।

## संविधान क्या है? – भारतीय संविधान: एक परिचय की शुरुआत

कोई भी खेल बिना नियमों के अराजक हो जाता है। उसी तरह, कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) हमें सबसे पहले यह बताता है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है – सरकार कैसे बनेगी, सरकार के अंग (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) क्या करेंगे, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण – सरकार और नागरिकों के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों, हमारी आकांक्षाओं और हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। जब हम **the constitution of india an introduction** पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश कैसे एक सूत्र में बंधा रहता है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – संविधान कैसे बना?

भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) को समझने के लिए इतिहास में झाँकना जरूरी है। अंग्रेजों ने भारत में 1858 से लेकर 1947 तक कई कानून बनाए – जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये कानून भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को बनाए रखने के लिए थे। लेकिन जब आज़ादी मिली, तो हमें अपना खुद का संविधान चाहिए था। इसके लिए 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने और डॉ. भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यही भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) का ऐतिहासिक सार है।



## मुख्य विशेषताएँ – क्या है खास?

अब बात करते हैं उन विशेषताओं की जो इस संविधान को दुनिया में अनोखा बनाती हैं। भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) में हम निम्नलिखित बातें देखते हैं:

### 1. विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान

हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, और 12 अनुसूचियाँ हैं। शुरू में यह 395 अनुच्छेदों का था, लेकिन समय के साथ संशोधन होते गए। कोई और देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है।

### 2. संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र

प्रस्तावना (जो **the constitution of india an introduction** का सबसे प्यारा हिस्सा है) हमें बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी हमारा देश किसी के अधीन नहीं है, अर्थव्यवस्था का मालिक समाज है, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है, और जनता ही सरकार चुनती है।

### 3. मौलिक अधिकार

ये वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को जन्म से मिलते हैं – समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

### 4. नीति निर्देशक तत्व

ये सरकार के लिए दिशा-निर्देश हैं, जैसे – समान काम के लिए समान वेतन, गरीबी का उन्मूलन, गांवों का सुधार, आदि। ये कानूनी रूप से लागू नहीं होते, लेकिन देश को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

### 5. मूल कर्तव्य

हम सिर्फ अपने अधिकार ही नहीं मांग सकते, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं – जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना।

इन सब बातों को जानना भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) का सबसे रोचक हिस्सा है।

## प्रस्तावना – संविधान का परिचय-पत्र

किसी भी किताब की शुरुआत में भूमिका होती है, ठीक वैसे ही हमारे संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। **The constitution of india an introduction** को पढ़ते समय प्रस्तावना सबसे पहले आती है। इसमें लिखा है:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करते हैं..."

ये शब्द हमें बताते हैं कि इस संविधान की ताकत हम लोगों से आती है, न कि राजाओं या सेनाओं से। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है। ये चार स्तंभ हैं जिन पर भारतीय







संविधान कब लागू हुआ?	26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)
सबसे लंबा संविधान किसका?	भारत का
मूल अधिकारों की संख्या	6 (मूल रूप में 7, अब 6)
नीति निदेशक तत्व	सरकार के लिए दिशानिर्देश, भाग 4
मूल कर्तव्य	11 (42वें संशोधन में जोड़े, फिर एक और)
संविधान सभा के सदस्य	389 (शुरू में), फिर 299
पहला संशोधन कब हुआ?	1951
संविधान का मूल ढांचा	सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस (1973) में परिभाषित किया

यह तालिका भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) का सबसे तेज़ रिवीजन है।

## वास्तविक जीवन से जुड़ाव

मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक तालाब है। कुछ लोग कहते हैं कि वह तालाब सिर्फ उनका है, दूसरे नहीं पी सकते। संविधान का अनुच्छेद 15 साफ कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप इसी संविधान का सहारा लेकर अपनी बात रख सकते हैं। यही **the constitution of india an introduction** की असली ताकत है – यह हर आम आदमी को न्याय दिलाता है।

एक और उदाहरण – अगर कोई अधिकारी आपकी जमीन छीन ले, तो आप अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। संविधान बिना मुकदमे के किसी को सजा देने से मना करता है (अनुच्छेद 21)। ये सब बातें भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) में ही बताई गई हैं।

## Sources

1. <https://legislative.gov.in/constitution-of-india> – संविधान की मूल प्रति
2. <https://upsc.gov.in> – UPSC सिलेबस और PYQ
3. <https://ncert.nic.in> – NCERT की पाठ्यपुस्तकें
4. <https://pib.gov.in> – संविधान दिवस से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियाँ
5. <https://main.sci.gov.in> – केशवानंद भारती केस का निर्णय

## आखिरकार, हमने क्या सीखा?

आज के इस लेख में हमने भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) को बिल्कुल सरल, मानवीय और परीक्षोपयोगी भाषा में समझा। हमने जाना कि संविधान



क्या है, वह कैसे बना, उसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है, और परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।

याद रखिए – संविधान सिर्फ वकीलों और न्यायाधीशों के लिए नहीं है। यह हर उस नागरिक के लिए है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहता है। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हों, या स्कूल की परीक्षा, या फिर एक जागरूक भारतीय बनना चाहते हों – **the constitution of india an introduction** आपकी राह रोशन करेगा।

हमारा सुझाव है कि इस लेख को दोबारा पढ़ें, नोट्स बनाएं, और तालिकाओं को याद कर लें। साथ ही, प्रश्नों के उत्तर खुद लिखने की कोशिश करें।

अंत में, एक सवाल आपके लिए – क्या आपको पता है कि संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई है और उसे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने सजाया था? यही छोटी-छोटी बातें इस परिचय को रोचक बनाती हैं।

धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

[मौलिक अधिकार – संपूर्ण मार्गदर्शन](#)  
[भारत की संसद – लोकसभा और राज्यसभा](#)  
[राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य](#)

## Author Bio

लेखक पिछले 4 वर्षों से UPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनका वैकल्पिक विषय Public Administration रहा है। इन्होंने BCA तथा Advanced Diploma in Software की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में ये DevOps एवं Server Engineer के रूप में कार्यरत हैं और Education, Technology, NCERT Foundation एवं Competitive Exam Preparation से जुड़े विषयों पर गहराई से अध्ययन एवं लेखन करते हैं।

## FAQs

**प्रश्न 1: भारतीय संविधान: एक परिचय क्यों महत्वपूर्ण है?**

उत्तर: भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर नागरिक को यह बताता है कि उसके अधिकार क्या हैं, सरकार का ढांचा कैसा है, और न्याय कैसे मिलेगा। बिना इस परिचय के लोकतंत्र अधूरा है।

**प्रश्न 2: संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ?**

उत्तर: 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और रियासतों के नामित सदस्य शामिल थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने।

**प्रश्न 3: क्या भारतीय संविधान पूरी तरह मौलिक है?**

उत्तर: हां और नहीं। इसके कई प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए हैं – जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। लेकिन इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है, इसलिए यह मौलिक है।

**प्रश्न 4: भारतीय संविधान को सबसे लंबा क्यों कहा जाता है?**



उत्तर: क्योंकि इसमें हर विषय को विस्तार से लिखा गया है – चाहे वह राष्ट्रपति की शक्तियाँ हों या पंचायती राज का ढांचा। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि हमारे पास 448 अनुच्छेद हैं। **The constitution of india an introduction** में ही यह तुलना स्पष्ट हो जाती है।

**प्रश्न 5: क्या संविधान में बदलाव किया जा सकता है?**

उत्तर: हाँ, संविधान में संशोधन (सुधार) किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 इस प्रक्रिया को बताता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस (1973) में कहा कि संविधान के 'मूल ढांचे' में बदलाव नहीं किया जा सकता।

**प्रश्न 6: क्या मुझे संविधान की पूरी किताब पढ़नी चाहिए?**

उत्तर: अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मुख्य भाग (अनुच्छेद 1-400 तक) का सारांश जरूर पढ़ना चाहिए। स्कूली परीक्षाओं के लिए NCERT की किताबें और यह लेख भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) काफी हैं।

**प्रश्न 7: संविधान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों?**

उत्तर: 26 नवंबर को संविधान दिवस (राष्ट्रीय कानून दिवस) मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान पारित हुआ था। 2015 से सरकार ने इस दिन को औपचारिक रूप से मनाना शुरू किया।

**प्रश्न 8: क्या डॉ. अंबेडकर को 'संविधान निर्माता' कहना सही है?**

उत्तर: हाँ, डॉ. बी.आर. अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया। लेकिन संविधान सभा के सैकड़ों सदस्यों का भी योगदान रहा। फिर भी अंबेडकर को सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है, इसलिए उन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' माना जाता है।

**प्रश्न 9: प्रस्तावना में 'हम, भारत के लोग' से क्या तात्पर्य है?**

उत्तर: इसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति जनता में निहित है। कोई राजा या बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हम लोग ही इस संविधान के मालिक हैं। **The constitution of india an introduction** की यह पंक्ति सबसे शक्तिशाली है।

**प्रश्न 10: मैं संविधान का अध्ययन कहाँ से शुरू करूँ?**

उत्तर: शुरुआत प्रस्तावना से करें। फिर NCERT की कक्षा 8 और 11 की राजनीति विज्ञान की किताबें पढ़ें। इसके बाद M. Laxmikanth की Indian Polity (UPSC के लिए) यह लेख भारतीय संविधान: एक परिचय (**the constitution of india an introduction**) बार-बार पढ़ें।

